

29  
Most Immediate

Ministry of Home Affairs

NE Division

\*\*\*\*

**Subject: Information sought by Shri Praveen Jain, Under RTI Act, 2005-regarding.**

Please refer to your OM no. V-17012/78/2013-PR dated 06.01.2014 on the subject cited above.

2. In this regard, the information available with this Division may be treated as 'Nil'. Further, this Division agrees with the view taken by the CS Division that the requisite information pertains to the collection and compilation of data which does not come within the definition of "Information" as given in Section 2(f) of RTI Act, 2005.




(J.P.N Singh)  
Director (NE)  
Telefax: 23092485

Dr. (Smt.) Praveen Kumari Singh, Dir(SR) & CPIO, CS Division, MHA, NDCC-II, New Delhi, Fax. 23438185

---

MHA ID Note No. 9/5/2014-NE-II.Vol-II Dated 20.01.2014



K/o. Mr. Abhishek. Patil 23

मात्र: ५ नवंबर २०१३

23092485

प्रभाग:  
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी  
गृह मंत्रालय  
नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार विधिनियम २००६ के अधीन सूचना पाने हेतु आवेदन  
संदर्भ: ऑनलाइन आरटीआई आवेदन क्र. MHOME/R/2013/60186 दिनांक ४ जुलाई २०१३

महोदय,

कृपया ध्यान दें कि चार महीनों बाद भी आपके मंत्रालय ने उक्त आवेदन में माँगी गई सूचनाएँ प्रदान नहीं की हैं और मेरा आवेदन सामान्य सूझावद्वारा का प्रयोग किए बिना ही राजभाषा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था और उसके बाद राजभाषा विभाग ने आवेदन मंत्रालय को वापस कर दिया था, मेरे आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा था कि सारे प्रश्न गृह मंत्रालय के मुख्यालय से सम्बद्धित हैं, आपसे अनुरोध है कि उक्त ऑनलाइन आरटीआई आवेदन क्र. MHOME/R/2013/60186 दिनांक ४ जुलाई २०१३ का शीघ्र निपटारा करवाएँ और वांछित सूचनाएँ संपर्क करवाएँ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएँ प्रदान करें, सारी सूचनाएँ केवल गृह मंत्रालय के मुख्यालय से सम्बद्धित हैं इसलिए अनुरोध है कि मेरे आवेदन को मुख्यालय के बाहर हस्तांतरित न किया जाए:

1. प्रधानमंत्री कार्यालय का आदेश २७ अगस्त १९९९, राजभाषा विभाग का निर्देश २२ सितम्बर १९९९ एवं संसदीय राजभाषा समिति की अनुसूची पर राज्यपति महोदय के आदेश वर्ष २००८ में मारत सरकार की वेबसाइटों को द्विभाषी बनाये जाने के लिए कहा गया है और हर वर्ष राजभाषा विभाग धूमधारी कार्यक्रमों में भी निर्देश देता है, फिर भी गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट अंग्रेजी अलग बनाई है और हिन्दी में अलग बनाई है, साथ ही गृह मंत्रालय ने मारत के परम पालन रायित के प्रवधनों के विपरीत अंग्रेजी वेबसाइट को प्राथमिकता-दी-है, अंग्रेजी वेबसाइट पहले खुलती है, अंग्रेजी वेबसाइट हमेशा पहले अंदरित की जाती है जबकि हिन्दी वेबसाइट को ऊपर उपलग की जाती है, गृह मंत्रालय अपनी मुख्य वेबसाइट को पव सूचना कार्यालय की तरह एक साथ दोनों भाषाओं को प्रदर्शित करने वाली द्विभाषी वेबसाइट के रूप में कब आरप्त करेगा? (जिसमें हिन्दी को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए संविधान ने अनुच्छेद ३५१ में सारत सरकार को स्पष्ट निर्देशित किया है)
2. राजभाषा विभाग के १९९२ के कार्यालय शापन के अनुपार स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि हिन्दी का प्रयोग हमेशा अंग्रेजी से पहले/आगे/ऊपर किया जाएगा जबकि अग्री वेबसाइट पर अंग्रेजी को प्राथमिकता, पहले खुलने की व्यवस्था की गई है, इसलिए बताएं कि किनमें वहाँ में गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट पीआईवी के जैसी 100% द्विभाषी रूप में तैयार कर ली जाएगी, जिसमें हिन्दी फाठा साभगी में हिन्दी फाले (पीडीएफ अथवा वर्ड) ही अनुलग्न की जाएगी?
3. गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट के हिन्दी पृष्ठों पर भी अन्य अंग्रेजी वेबसाइटों के लिंक डाले जाते हैं जो कि संबंधित हिन्दी वेबसाइट के लिंक, ऐसा किस नियम के अधीन किया जा रहा है? नियमानुसार हिन्दी पाठ्य के साथ हिन्दी वेबसाइटों को जोड़ा जाना चाहिए,
4. गृह मंत्रालय ने अंग्रेजी/मुख्यालय में राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली एवं राजभाषा नीति के पालन के लिए क्या-२ नियम बनाये हैं?
5. गृह मंत्रालय के मुख्यालय से अधीनस्थ निकायों/संस्थानों/कार्यालयों को पिछले हो वर्षों में राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली एवं राजभाषा नीति के पालन के लिए क्या-२ विशेष निर्देश जारी किए गए?
6. गृह मंत्रालय के मुख्यालय की हिन्दी संलाहकार समिति एवं राजभाषा कार्यालय समिति की पिछली बैठकें कब हुई थीं और अगली बैठकें कब होने वाली हैं?
7. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में किनमें अधिकारी और कार्यक्रम केवल अंग्रेजी में काम करते हैं?
8. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में राजभाषा अनुपालग को सुनिश्चित करने के लिए किनमें अधिकारी नियुक्त किए गए हैं?

१२

४

9. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में वर्तमान में प्रयोग में लाई जा रही निम्नलिखित गदों गं से कितनी दृष्टिगती और कितनी केवल अपेक्षी में बनाई गई हैं, अलग २ संख्या बताएँ-

क. पत्र-दीर्घ,

(d) अधिकारियों के आवंतुकौ-पत्र (विजिटिंग कार्ड),

ग. लिफ्टों,

घ. प्रबोध-भास,

ड. रबर की मुहरें

च. अधिकारी नामपट्ट

छ. अधिकारी-कार्मिक परिचय-पत्र

ज. फॉर्म/आवेदन-पत्रों के प्रारूप

झ. ऑनलाइन फॉर्म

10. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में वर्तमान में कौन से कार्य मूल रूप से हिन्दी में किए जाते हैं, सूचित करें?

11. अप्रैल २०१३ से लेकर अक्टूबर २०१३ तक गृह मंत्रालय के मुख्यालय में द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा ३(३) के अंतर्गत सम्प्रतः जारी १) प्रतिवेदन, २) प्रकाशकीय आदेश, ३) कार्यालयीन जापन, ४) परिपत्र, ५) सूचना, ६) अधिसूचना, तथा ७) संट्री फॉर्म की अलग-२ कुल संख्या सूचित करें और वह भी सूचित करें कि इनमें से कितने द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) में जारी किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में?

12. अप्रैल २०१३ से लेकर अक्टूबर २०१३ तक गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा निष्पादित संविद्धाओं और क्रेसों, अनुशासनों और नियम-प्रधानों की अलग-२ कुल संख्या सूचित करें और वह भी सूचित करें कि इनमें से कितने द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) में तैयार किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में?

13. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा प्रिलिले दो वर्षों में कव-२ राजभाषा अनुपालन की ऐमफिल्म रिपोर्ट राजभाषा विभाग को भेजी गई?

14. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा प्रेस विभागीय मूल रूप से किस माझा में लिखी जाती हैं और उसका गन्ह्याद किस माझा में किया जाता है?

15. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा हिन्दी प्रेस विभागीयों किस किस को मेजी जाती हैं?

16. गृह मंत्रालय के कई आधिकारियों/व्यक्ति/आयोगों/संस्थानों आदि ने अपने प्रतीक चिह्न (लोगो) एवं वेबसाइटें राजभाषा सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लंघन करता हुए अब तक केवल अंग्रेजी में ही बनाई हैं, इसके सम्बन्ध में गृह मंत्रालय के किस अधिकारी को शिकायत की जानी चाहिए?

आवदक

ह/-

प्रबीण जैन

ए-१०३, आदीश्वर सोसाइटी

सेक्टर ७ए, जालौर

नवी मुंबई - ४००७०३

टीप: आवेदन शुल्क १० रुपये का ऑनलाइन सुगतान